

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1845

11 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर फीडर बस सेवा

†1845. श्रीमती महुआ मोइत्रा:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, टर्मिनल-1 से दिल्ली एयरोसिटी मेट्रो स्टेशन तक फीडर बस सेवा का संचालन करता है या यह सेवा किसी तीसरे पक्ष को अनुबंध पर दी गई है अथवा अनुबंधित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) नवीनीकृत अनुबंधों की संख्या सहित ऐसे अनुबंधों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सेवा की अनुसूची और समय-सारिणी का ब्यौरा क्या है;

(घ) बस सेवा के संचालन के लिए कितने ड्राइवरों को नियोजित किया गया है और उनके श्रम घंटों और पारियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ये बसें वातानुकूलित हैं और सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इन बसों की खराब स्थिति की जानकारी है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है तथा उनपर क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) क्या सरकार ने इन बसों की सड़क पर चलने की क्षमता की जाँच की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (छ): दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली के टर्मिनल -1 से दिल्ली एरोसिटी मेट्रो स्टेशन तक वातानुकूलित फीडर बस सेवाओं का संचालन करता है। डीएमआरसी ने एक सेवा प्रदाता को दिनांक 31.07.2013 के स्वीकृति पत्र (एलओए) के माध्यम से इस कार्य का ठेका दिया था, जिसे दिनांक 19.12.2023 के पत्र द्वारा आगे बढ़ा दिया गया था। बसों का संचालन 15 मिनट के अंतराल से 07:00 बजे से 22:00 बजे तक किया जाता है। डीएमआरसी ने सूचित किया है कि पिछले 6 महीनों के दौरान, बसों की स्थिति, एसी की स्थिति आदि पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन पर ठेकेदार द्वारा कार्य किया गया और आज की स्थिति के अनुसार कोई शिकायत लंबित नहीं है। डीएमआरसी ने यह भी बताया है कि उनके द्वारा सेवाओं की निगरानी की जाती है। इसके अलावा, चलने वाली सभी फीडर बसों को परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।
